निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
44/23	28.12.2023	24.12.25

1. हीरालाल पुत्र हटीला
2. मुथरी पत्नी हीरालाल

सभी जाति गुर्जर निवासी कडीपट्टी तहसील तलावड़ा।

—वादीगण—

बनाम

1. कन्हैया पुत्र हटीला
2. काना पुत्र किशनलाल
3. धप्पो पत्नी स्व० किशनलाल
4. पार्वती पुत्री किशनलाल
5. मोतीलाल पुत्र हटीला

   सभी जाति गुर्जर निवासी कडीपट्टी तहसील तलावड़ा

6. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील तलावडा

—प्रतिवादीगण—

दावा बावत विभाजन

उपस्थितः श्री महेश चन्द अग्रवाल एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र एडवोकेट प्रतिवादी सं 1, 5 की ओर से
प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 6 अनुपस्थित

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रकबा 0.32 हैक्टेयर, 250 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 321 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 322 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 324 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 64 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 65 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 66 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 67 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर स्थित ग्राम कडीपट्टी पटवार हल्का तलावड़ा तहसील तलावडा में स्थित है। जिसमें पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारान ने वाहमी रूप से विभाजन किया हुआ है। तथा उसी अनुसार भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया संख्या 2 खसरा संख्या 323 रकबा 0.93 हैक्टेयर में मुताबिक हिस्सा 1/18 पर व खसरा संख्या 249, 250, 321, 322, 324 रकबा 2.31 हैक्टेयर में मुताबिक हिस्सा 1/18 पर काश्त कर उसकी फसल से लाभान्वित होती चली आ रही है। वादी संख्या 1 खसरा संख्या 62, 64, 65, 66, 67 रकबा 0.91 हैक्टेयर में मुताबिक हिस्सा 1/4 पर काश्त कर उसकी फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर का कोई वास्ता नहीं रहा है। पक्षकारान के मध्य भूमि मुतदाविया का इन्द्राज शामलाती दर्ज होने के कारण आए दिन लगान को लेकर नाइंतकाफी रहती है। सरस नरस भूमि चाही बारानी जाव के आधार पर आपसी मनमुटाव रहने लग गया है और शामलाती में खाता रहना संभव नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 5.12.2023 को भूमि मुतदाविया वहिस्सा वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग भूमि में मानेमदालखत की और कहा कि वादीगण को भूमि मुतदाविया का उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 0.93 हैक्टेयर कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर, 249 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 250 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 321 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 322 रकबा 0.68 हैक्टेयर, 324 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.22 हेक्टेयर 64 रकबा 0.11 हैक्टेयर 65 रकबा 0.06 हैक्टेयर 66 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 67 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर स्थित ग्राम कडीपतटी तहसील तलावडा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किस्म बर्गीकरण भूमि चाही जाव बारानी सरस नरस भूमि के आधार पर किया कर पृथक–पृथक खाते कायम किए जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किए जावें। मुताबिक मौका कब्जा व हिस्सा रसदी के अनुसार विभाजन किया

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

ाकर इसी अनुसार कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यू में इन्द्राज खातेदारी ी दुरूस्ती की जावें।

दावा रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि खसरा संख्या 323, 324 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। 322 पर प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 249 250 सहायक कलेक्टर पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा काश्त है। व खसरा नम्बरान 62, 64, 65, 66, 67 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहामी बंटवारा कर मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर कब्जा अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित कर अलग से खाता कायम किया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता संख्या नया 115 ग्राम कडीपट्टी, जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता संख्या नया 16 ग्राम कडीपट्टी, जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या नया 506 ग्राम कडीपट्टी, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 31.10.2025 को विभाजन स्कीम निम्न अनुसार प्राप्त हुयी।

1. मुथरी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1799 / 4074 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, हीरा लाल पुत्र हटीला (फौत), खिलाडी पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275 / 16296 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, काडू पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275 / 16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, छंगा पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275 / 16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, कंचन पुत्री हीरालाल हिस्सा 2275 / 16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.11 है0, 65 रकबा 0.06 है0, 67 / 1 रकबा 0.0575 है0, 324 / 1 रकबा 0.1799 कुल किता 4 कुल रकबा 0.4074 हैक्टर।
2. कन्हैया पुत्री हटीला हिस्सा 13475 / 37426, काना पुत्र किशन लाल हिस्सा 1467 / 37426, धप्पो पत्नी किशन लाल हिस्सा 5362 / 37426, पार्वती पुत्री किशन लाल हिस्सा 288 / 37426, मोती लाल पुत्र हटीला हिस्सा 13075 / 37426, बजरंगलाल पुत्र कंचन लाल हिस्सा 1162 / 37426 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार खसरा नम्बर 62 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.24 है0,

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स.मा.)

खसरा नम्बर 67/2 रकवा 0.2225 है0, खसरा नम्बर 323 रकवा 0.93 है0, खसरा नम्बर 249 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 250 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 321 रकवा 0.65 है0, खसरा नम्बर 322 रकवा 0.68 है0, खसरा नम्बर 324/2 रकवा 0.1301 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 3.7426 हैक्टर प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है किः—

1. मुथरी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1799/4074 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, हीरा लाल पुत्र हटीला (फौत), खिलाडी पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275/16296 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, काडू पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275/16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, छंगा पुत्र हीरालाल हिस्सा 2275/16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, कंचन पुत्री हीरालाल हिस्सा 2275/16296 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, खसरा नम्बर 64 रकवा 0.11 है0, 65 रकवा 0.06 है0, 67/1 रकवा 0. 0575 है0, 324/1 रकवा 0.1799 कुल किता 4 कुल रकवा 0.4074 हैक्टर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
2. कन्हैया पुत्री हटीला हिस्सा 13475/37426, काना पुत्र किशन लाल हिस्सा 1467/37426, धप्पो पत्नी किशन लाल हिस्सा 5362/37426, पार्वती पुत्री किशन लाल हिस्सा 288/37426, मोती लाल पुत्र हटीला हिस्सा 13075/37426, बजरंगलाल पुत्र कंचन लाल हिस्सा 1162/37426 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार खसरा नम्बर 62 रकवा 0.22 है0, खसरा नम्बर 66 रकवा 0.24 है0, खसरा नम्बर 67/2 रकवा 0.2225 है0, खसरा नम्बर 323 रकवा 0.93 है0, खसरा नम्बर 249 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 250 रकवा 0.35 है0, खसरा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राजस्थान)

म्बर 321 रकवा 0.65 है0, खसरा नम्बर 322 रकवा 0.68 है0, खसरा नम्बर 324/2 रकवा 0.1301 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 3.7426 हैक्टर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी